न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/117/2023 रजू दिनांकः 03.10.2023 रजि0 न0 2023/668

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री त्रिलोक सिंह सिधु, (ESM Sbu maj, Hony. Capt.) निवासी 55/151, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर 302020 (राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 30.10.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.10.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1857 दिनांक 09.10.2023 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2023 एवं 27.05.2023 के संबंध में कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई है। आवक–जावक अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्तांकित पूर्व प्रा0पत्र दिनांक 03.05.2023 एवं दिनांक 27.05.2023 के कार्यालय को प्राप्त का अभाव पाया गया, तद्नुसार कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./आर.टी.आई/2022/1550 दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से आवेदन खारिज कर, विनिश्चय किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। तथापि दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रामगढ़ को निर्देशित किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
7. निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अक्चिल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)